



भारतीय टेलीग्राफ अधिकार-संशोधन नियम, 2022

प्रलिस के लयः

5 जी, फाइबरइंजेशन, संबधति सरकारी पहल, डजिटल इंडया मशिन और भारतनेट प्रोजेक्ट, डजिटल डवाइड ।

मेन्स के लयः

इंडयिन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे-संसोधन नियम 2022 ।

चर्चा में क्यौं?

देश में **5G नेटवर्क** के रोलआउट/सार्वजानिक उपलब्धता सुनिश्चति करने में तेजी लाने के लयि संचार मंत्रालय ने **राइट ऑफ वे (RoW)** में संशोधन की घोषणा की ।

संशोधन

- संशोधनों में शुल्क का युक्तकिरण, एकल खड़िकी नकिसी प्रणाली की शुरुआत और नजी संपत्तपर बुनयादी ढाँचा स्थापति करने के लयि सरकारी प्राधकिरण से सहमतकी आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है ।
- दूरसंचार लाइसेंसधारी नजी संपत्तके मालकी के साथ समझौता कर सकते हैं और दूरसंचार बुनयादी ढाँचे जैसे टॉवर, पोल/खंभे या ऑप्टिकल फाइबर स्थापति करने के लयि कसि भी सरकारी प्राधकिरण से कसि भी अनुमतकी आवश्यकता नहीं होगी ।
- केंद्र सरकार द्वारा अपने स्वामतित्व/नयितरण वाली भूमि पर खंभे लगाने के लयि कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं लयि जाएगा ।
 - राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के लयि यह शुल्क 1,000 रुपए प्रति पोल तक सीमति होगा । ओवरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर बछिने का शुल्क 1,000 रुपए प्रति किलोमीटर तक सीमति होगा ।
- दूरसंचार कंपनयों को नजी भवन या संपत्तपर मोबाइल टावर या खंभे की स्थापना से पहले, जहाँ मोबाइल टॉवर या पोल की स्थापना का प्रस्ताव है, उपयुक्त प्राधकिरण को लखिति में जानकारी देने तथा दूरसंचार कंपनयों को संबधति इमारत या संपत्तका वविरण देने के साथ प्राधकिरण से अधकृत इंजीनयिर द्वारा प्रमाणति प्रमाणपत्र की एक प्रतदिने की जरूरत होगी ।
- संशोधन RoW अनुप्रयोगों के लयि एकल खड़िकी नकिसी प्रणाली की सुवधि प्रदान करते हैं ।
- संचार मंत्रालय का गत शक्ति संचार पोर्टल सभी दूरसंचार संबंधी RoW एप्लीकेशन के लयि एकल खड़िकी पोर्टल होगा ।
- दूरसंचार लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना 150 रुपए और शहरी क्षेत्रों में सालाना 300 रुपए की मामूली लागत पर दूरसंचार उपकरणों को तैनात करने के लयि स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने में सक्षम होंगे ।

इन संशोधनों की घोषणा आवश्यकता:

- संशोधनों की घोषणा दूरसंचार नेटवर्क के उन्नयन और वसितार में तीव्रता लाने तथा मौजूदा बुनयादी ढाँचे पर 5G छोटे सेल की तैनाती का मार्ग प्रशस्त करने के लयि की गई है ।
- मौजूदा बुनयादी ढाँचा सेवाओं के रोलआउट को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है । हालाँकि, वशिषज्जों का कहना है ककिम से कम 70% टेलीकॉम टावरों को 5G को इस तरह से रोल आउट करने के लयि मौजूदा 33 के स्तर से फाइबरयुक्त करने की आवश्यकता है जो इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करता है ।
 - 2G और 3G वायरलेस प्रौद्योगकियों की तुलना में बढ़ती डेटा खपत और वकिस के कारण 5G के लयि फाइबरीकरण आवश्यक है, जो एक साझा नेटवर्क पर काम करते हैं और डेटा भार में वृद्धि को संभालने की सीमति क्षमता रखते हैं ।
- मौजूदा बुनयादी ढाँचे तक पहुँच नए बुनयादी ढाँचे की तैनाती और इसमें शामिल उच्च लागत, दूरसंचार क्षेत्र के सामने हमेशा प्रमुख चुनौतयों के रूप में व्याप्त थी, जनिका समाधान कया जा सकेगा ।

इस कदम का महत्त्व:

- दूरसंचार उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों को समान महत्त्व दे रहा है, यह अनुमान है कबिगले 2-3 वर्षों में 5G सेवाएँ देश के लगभग सभी हसिसों में पहुँच जाएँगी ।
- संशोधन प्रौद्योगिकी का तेज़ी से रोल-आउट सुनशिचति करेगा और 5G के सपने को भारत को साकार करने में सक्षम बनाएगा ।
- डजिटिल इंडिया मशिन और भारतनेट परयोजना के अनुरूप ग्रामीण-शहरी और अमीर-गरीब के बीच की डजिटिल डवाइड को समाप्त कर दिया जाएगा ।
- ई-गवर्नेंस और वत्तिलीय समावेशन को मजबूत कथिा जाएगा ।
- व्यापार करने में आसानी होगी ।
- नागरकों और उद्यमों की सूचना और संचार ज़रूरतों (5G सहति) को पूरा कथिा जाएगा ।
- भारत के डजिटिल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन के सपने को हकीकत में तबदील कथिा जाएगा ।

सरोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/indian-telegraph-right-of-way-amendment-rules,-2022>

